तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/5/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थी अशोक कुमार मीणा जरिये मुख्तारआम आशुतोष श्रोत्रिय एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि खातेदार प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नं. 4891, रकबा 1.10 हैक्टेयर वाके ग्राम रंगपुर में स्थित है। प्रार्थी मुख्य सड़क से अपने खेत पर पहुँचने के लिए एवं कृषि संयंत्रों को लाने ले जाने के लिए पूर्व में खसरा नम्बर 1542/488 जो कि ग्राम पंचायत रंगपुर के खाते में दर्ज भूमि है का उपयोग उपभोग लगातार निर्बाध रूप से करता चला आ रहा है तथा रास्ते के रूप में इस्तेमाल हो रही भूमि ख.नं. 1542/488 के मध्य से अप्रार्थी क्रम-1 ग्राम पंचायत द्वारा कभी कोई आपत्ति प्रार्थी से नहीं की गई है।	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही

खसरा नं. 1542/488 भूमि ग्राम पंचायत रंगपुर की भूमि होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त कृषि आराजी पर सामुदायिक भवन का निर्माण करवाने हेतु सम्पूर्ण भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाने हेतु सम्पूर्ण भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवा दिया गया है, जिससे प्रार्थी का अपने खेत पर पहुँचने का मार्ग अवरूद्ध हो गया है तथा खेत पर आना-जाना बन्द हो गया है

प्रार्थी को अपने खाते की कृषि आराजी पर पहुँचने एवं कृषि व्यवस्था करने में तथा कृषि कार्य में उपयोग उपभोग में आने वाले संयंत्रों को ले जाने का रास्ता बन्द हो गया है, कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

ग्राम पंचायत रंगपुर की भूमि खसरा नं. 1542/488 एवं खसरा नं. 1543/488 के लगता खसरा नं. 487 की भूमि है वह भी ग्राम पंचायत के खाते दर्ज है तथा प्रार्थी उक्त खसरा नं. 487 के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

पड़ौस से अपने खेत का पहुँच सकता है। चूंकि खसरा नं. 1542/488 एवं खसरा नं. 487 सरकारी भूमि है इस कारण से किसी अन्य खातेदार को किसी प्रकार की कोई क्षति भी कारित नहीं होगी। तथा उक्त कृषि आराजी में से जो रास्ता प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा उस कृषि आराजी की राज्य सरकार को हो रही क्षति एवं सरकारी भूमि में हुई क्षति कमी की क्षतिपूर्ति नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने हेतु तैयार है।

प्रार्थना:- प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नं. 489, रकबा 1.00 hect भूमि वाके ग्राम रंगपुर पर वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से पहुंचने के लिए नवीन रास्ता जो कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खाते में दर्ज कृषि आराजी खसरा नं. 1542/488, 1543/488, एवं 487 में से 30 फुट चौड़ा नवीन रास्ता ग्राम सड़क

अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तक देने के आदेश प्रदान करते हुए उक्त रास्ते की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करें।
	प्रार्थनापत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम (1) ग्राम पंचायत रंगपुर के बावजूद सूचना उपस्थित ना होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
	प्रतिवादी क्रम (2) तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार - "मौका अनुसार खसरा नं. 1542/488 जो कि ग्राम पंचायत रंगपुर पूर्ण संस्था के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के स्वीयांश व आधी मेड पर 1543/488 के सहारे-सहारे मौके पर रास्ता उपलब्ध है, जो कि ख. नं. 489/1 के खातेदार अशोक कुमार के खेत तक जाता है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
उक्त खसरा नं. 1543/488 में से खसरा नं. 1542/488 की पूर्व बाउंड्री के सहारे-सहारे ख. नं. 487/1 पर जाने के लिए 20 m की दूरी आती है।"	
बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि ख.नं. 1543/488 में ख.सं. 487 की सीमा तक तथा उसके उपरान्त ख.नं. 1542/488 में से होकर 1543/488 की सीमा तक मार्ग वर्तमान में बना हुआ है, जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रास्ता खोलो अभियान संचालित किया हुआ है, जिसमें प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत निर्देशित किया हुआ है, अतः ख.नं. 1543/488 व ख.नं. 1542/488 में प्रचलित मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा ख.नं. 487 से ख.नं. 489/1 तक पहुँचने का मार्ग ख.नं. 1543/488 में से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	प्रदान कर, नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम हेतु की जावे। * विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते समय ख.नं. 1543/488 विवाद्यक खाता सरकार दर्ज था, इसी कारण ग्राम पंचायत व तहसीलदार लाडपुरा को पक्षकार बनाकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, बहस के स्तर पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि इस दौरान ख.नं. 1543/488 नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज है। वैसे भी प्रकरण कृषि भूमि पर रास्ते का है अतः तहसीलदार लाडपुरा आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थी को अपेक्षित राहत प्रदान की जावे। * हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
* तहसीलदार रिपोर्ट से यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रार्थी के खाते पर जाने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। * तहसीलदार रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य मार्ग से ख.नं. 1543/488 में होकर ख.नं. 487 तक मार्ग प्रचलित व चालू स्थिति में है तथा इसके उपरान्त ख.नं. 1542/488 में होकर ख.नं. 487 की सीमा के साथ-साथ ख.नं. 1543/488 की सीमा तक प्रस्तावित स्थिति में है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा भी तहसील रिपोर्ट में संलग्न नक्शे अनुसार A से B बिन्दु तक के नवीन मार्ग की मांग की गई है। * तहसील रिपोर्ट में संलग्न नक्शे से यह स्पष्ट हो जाता है कि A से B बिन्दु तक प्रस्तावित किया गया मार्ग ख.नं. 489/1 तक जाने का सबसे छोटा संभावित मार्ग है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स आज
	उक्त परिस्थितियों में जबकि प्रार्थी की कृषि आराजी पर जाने का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, तथा तहसील रिपोर्ट में दर्शाया गया मार्ग (A TO B) सबसे छोटा मार्ग है, हम प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(A) स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।
	अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(A) बाबत नवीन रास्ता कायम किये जाने स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की कृषि आराजी ख.नं. 489/1 रकबा 1.00 हैक्ट. तक जाने हेतु ख.नं. 1543/488 में से 28 मीटर लम्बाई में 30 फुट चौड़ा मार्ग वादी को उपलब्ध करवाया जाय, (A TO B)
	उक्त रास्ते के सम्बन्ध में सर्वप्रथम मंत्रालय अनुसार DLC दर से दुगुना पैसा राजकोष (खातेदार के खाते) जमा
	उपखण्ड अधिकारी को।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स आज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील मे जारी हुए
करवाया जाय, तदुपरान्त उक्त मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे।	
साथ ही तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नं. 1543/488 व 1542/488 में प्रचलित मार्ग को, जिसे संलग्न नक्शे में C से A दर्शाया गया है राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित रास्ता खोलो अभियान की मंशा के अनुरूप डोटेड लाइन से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे।	
तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।	
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
26/05/25 उपखण्ड अधिकारी को।	